उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 194/2018/2047/71-1-2018-जी-441/2011

दिनांक : लखनऊ 04 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 सुरेन्द्र कुमार ध्रुव, परामर्शदाता, पैथालॉजी विभाग, जिला चिकित्सासलय, शाहजहॉपुर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कन्नौज में प्रवक्ता, पैथालॉजी, ब्लड बैंक के पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1881/71-1-2012-जी-441/2011, दिनॉक 28.12.2012 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किया गया था। अन्तिम बार डा0 सुरेन्द्र कुमार ध्रुव की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-3308/ 71-1-17-जी-441/2011, दिनॉक 30.11.2017 द्वारा 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गयी थी, जो दिनॉक 31.12.2018 को समाप्त हो रही है। डा0 सुरेन्द्र कुमार ध्रुव को कार्यालय ज्ञाप संख्या-386/ 71-1-16-जी-441/2011, दिनॉक 25.02.2016 द्वारा सहायक आचार्य के रूप में पदनामित किया गया है।

2- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना दिनॉक 15.03.2015 में विहित प्राविधानों के अनुसार डा0 सुरेन्द्र कुमार ध्रुव द्वारा प्रवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक 01.01.2013 से पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/ 2018/566, दिनॉक 31.05.2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 सुरेन्द्र कुमार ध्रुव को तात्कालिक प्रभाव से सहआचार्य के रूप में पदनामित किए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पदनामित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित चिकित्सा शिक्षक को वहीं वेतन प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने विभाग में प्राप्त हो रहा है। संबंधित चिकित्सा शिक्षक को पदनामित करने के उपरान्त चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शमीम अहमद खान

विशेष सचिव।

संख्या-194/2018/2047(1)/71-1-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
6- कोषाधिकारी, कन्नौज।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8- चिकित्सा अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।